'आरक्षण' पर राज्यों को मिला अधिकार

उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला, राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने का अधिकार

अर्चिस मोहन

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है, ताकि उन जातियों को आरक्षण प्रदान किया जा सके, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक पिछड़ी हुई हैं। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाले सात-सदस्यीय संविधान पीठ ने 6:1 के बहुमत के निर्णय में कहा कि अनुसूचित जातियां सामाजिक रूप से विजातीय वर्ग हैं। फैसले में राज्यों को भी चेताया गया है कि उपवर्गीकरण का आधार न्यायसंगत होना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय के फैसले को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। अधिकांश दक्षिणी राज्यों ने इस फैसले का स्वागत किया है, जो अनुसूचित जाति के आरक्षण में उप-वर्गीकरण के लिए संघर्ष कर रही थीं। वाम दलों ने भी सर्वोच्च अदालत के फैसले को स्वागतयोग्य बताया है। केंद्र की राजग सरकार में दो महत्त्वपूर्ण घटक दलों जनता दल (यूनाइटेड) और तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) ने उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। हालांकि उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों ने इस पर सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने गुरुवार शाम तक इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की थी।

अदालत ने 'ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार' मामले में शीर्ष अदालत की पांच-सदस्यीय पीठ के 2014 के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों (एससी) के किसी उप-वर्गीकरण की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि वे अपने आप में स्वजातीय समूह हैं।

न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी, न्यायमूर्ति पंकज मिथल, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र मिश्रा सदस्यता वाला पीठ इस मामले में 23 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इनमें 2010 के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली पंजाब सरकार की याचिका भी शामिल है। पीठ के सभी जजों ने अलग-अलग फैसला लिखा है। इस विवादास्पद मुद्दे पर कुल 565 पृष्ठों के छह फैसले लिखे गए।

संविधान पीठ का फैसला

- सात जजों के पीठ ने राज्यों को अनूसूचित जातियों के आरक्षण में दिया उप-वर्गीकरण का अधिकार
- सात-सदस्यीय संविधान पीठ ने 6:1 के बहुमत के निर्णय में कहा कि अनुसूचित जातियां सामाजिक रूप से विजातीय वर्ग
- उप-वर्गीकरण ठोस आधार पर न्यायसंगत होना चाहिए, राज्य इसमें अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते
- दक्षिण के ज्यादातर राज्यों के राजनीतिक दलों ने किया फैसले का स्वागत, उत्तर भारत के राजनीतिक दलों की सधी प्रतिक्रिया
- अलग फैसले में न्यायमूर्ति बीआर गवई ने राज्यों को अनुसूचित जाति में क्रीमी लेयर की पहचान करने को कहा

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) ने अपने 140 पृष्ठ के फैसले में कहा, 'संविधान के अनुच्छेद 15 (धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव न करना) और 16 (सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता) के तहत सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए सामाजिक पिछड़ेपन की विभिन्न श्रेणियों की पहचान करने और नुकसान की स्थिति में विशेष प्रावधान (जैसे आरक्षण देने) के लिए स्वतंत्र है।'

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, 'ऐतिहासिक और अनुभवजन्य साक्ष्य दर्शाते हैं कि अनुसूचित जातियां सामाजिक रूप से विजातीय वर्ग हैं। इस प्रकार, अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य अनुसूचित जातियों को आगे वर्गीकृत कर सकता है यदि (ए) भेदभाव के लिए एक तर्कसंगत सिद्धांत है; और (बी) तर्कसंगत सिद्धांत का उप-वर्गीकरण के उद्देश्य के साथ संबंध है।'

प्रधान न्यायाधीश ने अपनी ओर से और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की ओर से फैसले लिखे, जबकि न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पंकज मिथल न्यायमूर्ति सतीश चंद्र मिश्रा और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी ने अपने-अपने फैसले लिखे। न्यायमूर्ति त्रिवेदी को छोड़कर अन्य पांच न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश के निष्कर्षों से सहमत थे। न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने अपने 85 पन्नों के असहमति वाले फैसले में कहा कि केवल संसद ही किसी जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कर सकती है या बाहर कर सकती है तथा राज्यों को इसमें फेरबदल करने का अधिकार नहीं है।

उन्होंने फैसला सुनाया कि अनुसूचित जातियां एक 'सजातीय वर्ग' हैं, जिन्हें आगे उप-वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने लिखा, 'अनुच्छेद 341 के तहत अधिसूचना में अनुसूचित जातियों के रूप में सूचीबद्ध जातियों, नस्लों या जनजातियों को विभाजित/उप-विभाजित/उप-वर्गीकृत या पुनर्समूहीकृत करके किसी विशेष जाति/जातियों को आरक्षण प्रदान करने या तरजीही बर्ताव करने के लिए कानून बनाने के लिए राज्यों के पास कोई विधायी क्षमता नहीं है।'

प्रधान न्यायाधीश ने बहुमत के फैसले में कहा, 'यदि अनुसूचित जातियां कानून के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं हैं, तो अनुच्छेद 15, 16 और 341 (अनुसूचित जातियों को वर्गीकृत करने की राष्ट्रपति की शक्ति) में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो राज्य को वर्ग में उप-वर्गीकृत करने के सिद्धांत को लागू करने से रोकता हो।'

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, 'इस प्रकार, अनुसूचित जातियों को आगे वर्गीकृत किया जा सकता है यदिः (ए) भेदभाव के लिए एक तर्कसंगत सिद्धांत है; और (बी) यदि तर्कसंगत सिद्धांत का उप-वर्गीकरण के उद्देश्य से संबंध है।' न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया कि किसी विशेष जाति को श्रेणी में अधिक आरक्षण लाभ देने के लिए अनुसूचित जाति (एससी) को उप-वर्गीकृत करने के किसी भी निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 16(4) के तहत उप-वर्गीकरण करने की शक्ति के वैध इस्तेमाल के लिए राज्यों को 'सेवाओं में उप-श्रेणियों के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के संबंध में मात्रात्मक डेटा' एकत्र करने की आवश्यकता है। पीठ ने कहा, 'प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता पिछड़ेपन का एक संकेतक है और इस प्रकार, प्रतिनिधित्व निर्धारित करने के लिए एक इकाई के रूप में कैडर का उपयोग करने से संकेतक का उद्देश्य ही बदल जाता है। राज्य को यह तय करते समय कि क्या वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, उसे मात्रात्मक प्रतिनिधित्व के बजाय प्रभावी प्रतिनिधित्व के आधार पर पर्याप्तता की गणना करनी चाहिए।' **(साथ में एजेंसियां)**

कुसाले ने ओलिंपिक में कांस्य पदक जीता

पेरिस ओलिंपिक में निशानेबाजी रेंज से भारत के पदकों की हैट्रिक पूरी हो गई जब स्वप्निल कुसाले ने ओलिंपिक में 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशंस में देश के लिए पहला कांस्य पदक जीता हालांकि महिला वर्ग में अंजुम मौदगिल और सिफत कौर फाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकीं। क्वालीफिकेशन में सातवें नंबर पर रहे स्वप्निल ने आठ निशानेबाजों के फाइनल में 451.4 स्कोर करके तीसरा स्थान हासिल किया। एक समय वह छठे स्थान पर थे जिसके बाद उन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया। भारत का इन खेलों में यह तीसरा कांस्य है। इससे पहले मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल और सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम वर्ग में कांस्य जीता था।

भारत के ओलिंपिक इतिहास में पहली बार निशानेबाजों ने तीन पदक एक ही खेलों में जीते हैं। कुसाले ने पदक जीतने के बाद कहा, 'मैंने कुछ खाया नहीं है और पेट में गुड़गुड़ हो रही थी। मैने ब्लैक टी पी और यहां आ गया। हर मैच से पहले रात को मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं।' उन्होंने कहा, 'आज दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मैंने सांस पर नियंत्रण रखा और कुछ अलग करने की कोशिश नहीं की। इस स्तर पर सभी खिलाड़ी एक जैसे होते हैं।' चीन के लियू युकुन (463.6) ने स्वर्ण और यूक्रेन के सेरही कुलिश (461.3) ने रजत पदक जीता।

पिछली बार भारतीय निशानेबाज लंदन ओलिंपिक 50 मीटर राइफल में फाइनल में पहुंचा था जब जॉयदीप करमाकर 50 मीटर राइफल प्रोन में चौथे स्थान पर रहे थे। अब यह स्पर्धा ओलिंपिक में नहीं है। कुसाले ने कहा, 'मैंने स्कोरबोर्ड देखा ही नहीं। यह मेरी बरसों की मेहनत थी और मैं बस यही सोच रहा था। मैं चाहता था कि भारतीय समर्थक मेरी हौसलाअफजाई करते रहें।' **भाषा**

स्वप्निल कुसाले

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
प्र.का. परिसर विभाग
भू तल, ऑफिस ब्लाक 3, प्लेट बी, पूर्व किदवई नगर, नई दिल्ली-110023
ई-मेल: ho.premises@psb.co.in
जहाँ सेवा ही जीवन – ध्येय

निविदा सूचना

"पंजाब एण्ड सिंध बैंक, बैंक के स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज (एस.टी.सी.), सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085 में **हाउसकीपिंग और सुविधा प्रबंधन सेवाएं**" प्रदान करने के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर पात्र सेवा प्रदाताओं से बोलियां आमंत्रित करता है।

बोली जमा करने की अंतिम तिथि **21.08.2024** है।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया सरकारी ई-मार्केटप्लेस **(GeM) पोर्टल** पर जाएं।

दिनांक: 01.08.2024
स्थानः दिल्ली
सहायक महाप्रबंधक

बड़े शहरों में बन सकेंगे आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

अर्चिस मोहन

केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोक सभा में आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक-2024 पेश किया। इसके पास होने से राज्यों की राजधानी और बड़े शहरों के लिए शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा। साथ ही प्रदेशों की सरकारें भी राज्य आपदा मोचन (प्रतिक्रिया) बल गठित कर सकेंगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा सदन में रखा गया यह विधेयक आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन करेगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकारों की कार्य क्षमता बढ़ाना तथा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले सभी हितधारकों के बीच और अधिक स्पष्टता लाना भी है।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार को अन्य तरीकों से विधायी शक्तियों को लागू करने के बजाय आपदा प्रबंधन पर उचित तरीके से परिभाषित प्रविष्टि जोड़ने के लिए संविधान की समवर्ती सूची में संशोधन करना चाहिए। यह तरीका विधेयक की संवैधानिकता पर प्रश्नचिह्न लगाता है। तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय ने कहा कि यह विधेयक प्राधिकारों की संख्या बढ़ाने का काम करेगा और इससे विरोधाभास की स्थिति बढ़ जाएगी।

विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति और उच्च स्तरीय समिति जैसे कुछ संगठनों को कानूनी हैसियत प्रदान करना है। नित्यानंद राय ने कहा कि आपदा प्रबंधन समुचित तरीके से हो, इसलिए अधिक निकाय बनाने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि अनेक आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों के परामर्श और सुझावों पर विचार करते हुए और उनकी चिंताओं को दूर करते हुए यह विधेयक लाया गया है। राय ने कहा कि राज्यों के अधिकारों में कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है तथा आपदा प्रबंधन की पहली जिम्मेदारी राज्यों की है।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश किया

सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को पेश करने की मंजूरी दे दी। विधेयक में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकारों को राष्ट्रीय कार्यकारी समिति तथा राज्य कार्यकारी समिति के बजाय राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। इसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा डेटाबेस बनाना भी प्रस्तावित है, ताकि राज्यों की राजधानी और नगर निगम वाले बड़े शहरों के लिए 'शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकार' तथा राज्य सरकार द्वारा 'राज्य आपदा मोचन बल' बनाने का प्रावधान किया जा सके।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोक सभा में वायनाड की त्रासदी पर चर्चा के दौरान कहा था कि आपदा प्रबंधन पर इसी सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा।

हिमाचल में बादल फटने से 5 की मौत, 50 लापता

हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की कई घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई और करीब 50 व्यक्ति लापता हैं। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि बारिश के कारण कई मकान, पुल और सड़कें बह गई हैं।

राज्य आपात अभियान केंद्र ने बताया कि कुल्लू के निरमंड, सैंज और मलाना इलाकों, मंडी के पधर और शिमला जिले के रामपुर में बादल फटे। मौसम विभाग ने गुरुवार को कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश, गरज के साथ छींटे और बिजली गिरने को लेकर 'रेड अलर्ट' जारी किया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पुलिस और होम गार्ड ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। **भाषा**

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

डाटा गोपनीयता एवं प्रबंधन विभाग, प्रधान कार्यालयः प्लॉट नं. 5, सेक्टर 32, गुरुग्राम, हरियाणा – 122001

सूचना

पीएनबी के सम्मानित ग्राहक कृपया ध्यान दें !!!

"प्रिय ग्राहकों,
आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी ग्राहकों के लिए केवाईसी अद्यतन अनिवार्य है। यदि आपका खाता 31.03.2024 तक केवाईसी अद्यतन के लिए देय हो गया है, तो आपसे अनुरोध है कि आप अपना केवाईसी 12.08.2024 तक पीएनबी वन/आईबीएस/पंजीकृत ई-मेल /डाक के माध्यम से या किसी भी शाखा में व्यक्तिगत रूप से जाकर अद्यतन करवा लें। अद्यतन न करने से आपके खाते में परिचालन पर रोक लग सकती है।"

Triveni
ENGINEERING & INDUSTRIES LTD.

Statement of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2024

(₹ in crores, except per share data)

Particulars	3 Months ended		Year ended
	30/Jun/2024 (Unaudited)	30/Jun/2023 (Unaudited)	31/Mar/2024 (Audited)
Total Income from operations	1534.03	1432.26	6151.40
Net Profit/(loss) for the period (before tax and exceptional items)	41.76	91.00	528.99
Net Profit/(loss) for the period before tax (after exceptional items)	41.76	91.00	528.99
Net Profit/(loss) for the period after tax (after exceptional items)	30.99	67.61	395.16
Total comprehensive income for the period [Comprising Profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	26.33	68.08	405.30
Equity share capital	21.89	21.89	21.89
Other equity			2879.01
Earnings per share of ₹ 1/- each (not annualised for the quarters)			
(a) Basic (in ₹)	1.42	3.09	18.05
(b) Diluted (in ₹)	1.42	3.09	18.05

Notes:

1. Summarised Standalone Unaudited Financial Performance of the Company is as under :

(₹ in crores)

Particulars	3 Months ended		Year ended
	30/Jun/2024 (Unaudited)	30/Jun/2023 (Unaudited)	31/Mar/2024 (Audited)
Total Income from operations	1533.63	1431.58	6149.14
Profit/(loss) before tax (after exceptional items)	41.60	89.76	523.99
Profit/(loss) after tax (after exceptional items)	30.87	66.61	391.52
Total comprehensive income	26.21	67.08	401.66

2. The above financial results include the results of Sir Shadi Lal Enterprises Limited for the period from June 21, 2024 to June 30, 2024 (i.e., for the period post becoming a subsidiary of the Company).

3. The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter ended June 30, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter ended June 30, 2024 are available on the websites of Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the website of Company (www.trivenigroup.com).

For **TRIVENI ENGINEERING & INDUSTRIES LIMITED**
Sd/-
Dhruv M. Sawhney
Chairman & Managing Director

Place: Noida
Date: August 1, 2024

Regd. Office: A-44, Hosiery Complex, Phase-II Extension, Noida, Uttar Pradesh - 201 305.
Corp. Office: 8th Floor, Express Trade Towers, 15-16, Sector-16A, Noida, Uttar Pradesh - 201 301.
www.trivenigroup.com | CIN : L15421UP1932PLC022174

एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
CIN: L40101HR1975GOI032564
पंजीकृत कार्यालयः एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर-33, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा)
ई–मेलः companysecretary@nhpc.nic.in, ईपीएबीएक्स न.: 0129-2588110 / 2588500,
वेबसाइटः www.nhpcindia.com

वीडियो कान्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो-विज़ुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित होने वाली 48वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोज़र तिथियों और अंतिम लाभांश के संबंध में सूचना

1. सदस्यगण कृपया ध्यान दें कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी दिनांक 25 सितंबर, 2023 के सामान्य परिपत्र सं.9/2023 व तत्संबंधी अन्य परिपत्र और दिनांक 7 अक्तूबर, 2023 के सेबी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी–पीओडी–2/पी/सीआईआर/2023/167 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (एलओडीआर) के सभी लागू प्रावधानों के अनुपालन में, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आमंत्रण सूचना में विनिर्दिष्ट कारोबार को संपादित करने हेतु कंपनी की 48वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीडियो कान्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो–विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से **बुधवार, 28 अगस्त, 2024 को अपरह्न 02.30 बजे (भारतीय समयानुसार)** कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी।
2. सुसंगत परिपत्रों के अनुपालन में, वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2023–24 उन सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएगी, जिनके ईमेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए)/डिपॉजिटरी प्रतिभागी (ओं) के साथ पंजीकृत हैं। जिन सदस्यों ने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के माध्यम से डिपॉजिटरी में अपना ई–मेल पता पंजीकृत करा लें। भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में, सदस्य कंपनी/कंपनी के आरटीए को लिखित रूप से भेजकर अपना ई–मेल आईडी पंजीकृत करा लें।
3. आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2023–24 कंपनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com पर, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com तथा ई–वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात मैसर्स नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध रहेगी।
4. संबंधित नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार और सेबी (एलओडीआर) के विनियम 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक **मंगलवार, 13 अगस्त, 2024 से बुधवार, 28 अगस्त, 2024** (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे। निदेशक मंडल ने 17 मई, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2023–24 के लिए 10/– रुपए अंकित मूल्य वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 0.50/– रुपए के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है जो कि आगामी 48वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। कंपनी ने वार्षिक आम बैठक में घोषित होने पर, अंतिम लाभांश प्राप्त करने के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने हेतु **सोमवार, 12 अगस्त, 2024** को "रिकॉर्ड तिथि" के रूप में निर्धारित किया है। जिन सदस्यों के नाम रिकॉर्ड तिथि पर सदस्य के रजिस्टर/लाभार्थी की सूची में शामिल होंगे, वे अंतिम लाभांश प्राप्त करने के हकदार होंगे।
5. जिन सदस्यों ने अपने शेयर डीमैटेरियलाइज्ड रूप में रखें हैं और वे बैंक खाते का विवरण उपलब्ध कराना/बदलवाना/सही कराना चाहते हैं, उन्हें यह जानकारी कंपनी को न भेजकर संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी को भेजनी चाहिए। सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को अपने बैंक का एमआईसीआर कोड उपलब्ध कराएं। लाभांश का भुगतान करते समय, कंपनी का आरटीए ऐसे डीमैटेरियलाइज्ड शेयरों के मामले में केवल डिपॉजिटरी द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा का उपयोग करने के लिए ही बाध्य है।
6. जिन सदस्यों ने अपने शेयर भौतिक रूप में रखें हैं उनको सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खाते का विवरण, जैसे– बैंक की शाखा का नाम और पता, शाखा का एमआईसीआर कोड, खाते का प्रकार और खाता संख्या, कंपनी के आरटीए को उपलब्ध कराएं। सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि वे समय पर लाभांश प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सिस्टम (ईसीएस) मोड का विकल्प चुनें। सेबी ने अपने मास्टर सर्कुलर संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/पीओडी–1/पी/सीआईआर/2024/37 दिनांक 07 मई, 2024 के माध्यम से यह आदेश दिया है कि 01 अप्रैल, 2024 से शेयर (भौतिक रूप में) रखने वाले सदस्यों को लाभांश का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया कंपनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com पर जाएं।
7. ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका:
   क. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के अनुसार, 48वीं एजीएम में विचार के लिए प्रस्तावों पर रिमोट ई–वोटिंग (अर्थात एजीएम से पहले वोट डालने की सुविधा) के माध्यम से तथा एजीएम के दौरान भी ई–वोटिंग के माध्यम से विचार किया जाएगा, जिसके लिए कंपनी ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएं नियोजित की हैं। वार्षिक आम बैठक से पहले या वार्षिक आम बैठक के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से डिमटेरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनके लिए नोटिस में रिमोट ई–वोटिंग का तरीका प्रदान किया जाएगा। इसका विवरण कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।
   ख. ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल नोटिस में प्रदान विभिन्न तरीकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा और कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक की सूचना में दी गईं सभी टिप्पणियों और विशेष रूप से वार्षिक आम बैठक में शामिल होने के लिए अनुदेश, रिमोट ई–वोटिंग और वार्षिक आम बैठक के दौरान ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के तरीके को ध्यान से पढ़ें।

यह सूचना कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए और एमसीए और सेबी के लागू परिपत्रों के अनुपालन में जारी की गई है।

आरटीए का संपर्क विवरण निम्नानुसार हैः

मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड,
सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31 व 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद रंगारेड्डी, तेलंगाना– 500 032
ईमेलः einward.ris@kfintech.com
टेलीफोनः 040–67162222, 040–79611000
वेबसाइटः www.kfintech.com
टोल फ्री नंबर–18003094001

एनएचपीसी लिमिटेड के लिए और उसकी ओर से
हस्ता./-
(रूपा देब)
कम्पनी सचिव

दिनांकः अगस्त 01, 2024
स्थान : फरीदाबाद

साइबर सुरक्षा पर कर्नाटक 103 करोड़ रु. खर्च करेगा

अनीका चटर्जी

कर्नाटक सरकार ने साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों से निपटने और राज्य के डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को लेकर जागरूकता, कौशल निर्माण, सार्वजनिक-निजी भागीदारी और प्रौद्योगिकी एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को एक व्यापक साइबर सुरक्षा नीति-2024 की शुरुआत की है।

सरकार इस नीति को सुचारू रूप से लागू करने और साइबर सुरक्षा का ढांचा विकसित करने के लिए अगले पांच साल में 103 करोड़ रुपये अधिक राशि खर्च करेगी। अधिकारियों ने बताया कि यह नीति जागरूकता तथा शिक्षा, कौशल निर्माण, उद्योग तथा स्टार्टअप को बढ़ावा देने, क्षमता निर्माण के लिए साझेदारी व सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। उन्होंने बताया कि इस नीति को पांच वर्ष के लिए लागू करने का वित्तीय व्यय करीब 103.87 करोड़ रुपये है। इसे सूचना प्रौद्योगिकी व जैव प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के बजटीय आवंटन से पूरा किया जाएगा। इसमें से 23.74 करोड़ रुपये प्रोत्साहन तथा रियायतें प्रदान करने पर खर्च किए जाएंगे। कर्नाटक सरकार ने साइबर सुरक्षा कौशल और डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी महत्त्वपूर्ण पहल का ऐलान किया है।